



भारत सरकार  
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./ई-मेल



सं- CHG/KNK/Fe-07/NGP

खान कोड- 30CHG08008

दिनांक:-12.07.2023

प्रेषित-

श्री विनोद पिल्लई, नामित खान मालिक,  
कच्चे आरीडोंगरी लोह अयस्क खान,  
सर्वश्री गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड,  
B-7, सहनीबिहार, रायपुर, छत्तीसगढ़  
ईमेल-[vinod.pillai@hiragroup.com](mailto:vinod.pillai@hiragroup.com)

श्री गंगाराम वर्मा, खान एजेंट,  
कच्चे आरीडोंगरी लोह अयस्क खान,  
सर्वश्री गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड,  
मकान नंबर-168, कैपिटल सिटी फेज -01,  
सद्दूर, रायपुर, छत्तीसगढ़  
ईमेल- [gangaram.verma@hiragroup.com](mailto:gangaram.verma@hiragroup.com)

विषय :छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपके कच्चे आरीडोंगरी लोह अयस्क खान 138.96 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 (MCDR, 2017 as amended) के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 06.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री गंगाराम वर्मा, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in in your aforesaid mine in accordance with the Review &amp; updation of Mining Plan (RMP) approved dated: 09.01.2020 to the extent indicated below :-</p> <p>i. Waste dumping has not been carried out as proposed in the approved RMP. In approved RMP, waste dumping was proposed at four earmarked places at NW corner (WD1), SW corner (WD2), Southern side (WD3) and SE corner (WD4) of the mining lease area. Whereas, it is observed during inspection that in place of four earmarked places, waste dumping has been carried out at two earmarked places i.e. mostly at NW corner (WD1) and partially at SW corner (WD2). Further, height of waste dump at NW corner (WD1) observed about 25 m more than the proposed height (proposed height up to 489 MRL, existing height up to about 515 MRL). Moreover, waste dumping also observed carried out at non-approved area in western side of the lease along the western ML boundary between WD1 &amp; WD2. These resulted in collapse/failure of the waste dump in the western side of the lease and escaping of waste material beyond the mining lease area between the boundary pillar BP-I to BP-J in substantial quantity.</p> <p>ii. Furthermore, the said waste dumps have not been properly terraced at safe interval of 10m height as proposed and also adequate environmental protections measures i.e. retaining wall and garland drain have not been constructed around the lower periphery the said waste dumps as envisaged in the RMP.</p>

<p>iii. Back filling (BF1) as proposed in RMP in Northern part of the mine/lease has not been carried out so far.</p> <p>iv. Plantation as proposed in RMP in eastern side of the lease (near BP-E to BP-F) and near to Screening Plant have not been carried out so far.</p> <p>Hence, above are observed to be against the systematic &amp; scientific development of mines and also against the protection of environment in the mine.</p>
---

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो